अंचल अधिकारी तोपचांची का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 58 (x)

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबधित।

9/9/16

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1996 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- पाठकडीह थाना- 158 खाता संख्या- 28 प्लॉट संख्या- 98 रकबा- 50 5/- एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- 1 के पृष्ठ संख्या- 61 पर जमाबंदी रैयत झारखंड सरकार के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 26.9.2016 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

9.9.16

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docs

Scanned with CamSc

27/11/2 अभिलेख उपस्थापित । तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा संदिग्ध जमीन के संबंध में कोई भी राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया जाता है । इस संबंध में ....अकबु रसद........द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थित जो अभिलेख में संलग्न है । लगान वर्ष....2014.15...... तक भुगतान किया गया है ।

मौजा-पाटकरीह.....थाना नं०........158..........खाता संख्या ....28..........

प्लॉट संख्या-.........98..........रकवा.........50 डी.........धूर कुल.........50 डी...........

धूर भूमि क्रमशः प्रतिवादी के नाम पर जमाबंदी दर्ज है । पंजी-।। में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमाबंदी में जांचोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं :-

1. जमाबंदी सृजित करने संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया ।

2. लगान निर्धारण / जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा / सादा हुकुमनामा आदि कागजात नही पाया गया ।

3. बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है ।

अतः मौजा-पाटकरीह.....थाना नं०........158.........

खाता संख्या ....28..............प्लॉट संख्या-.........98..........रकवा.........50 डी.......धूर, कुल ....धूर भूमि जो प्रतिवादी ..एतबारी धोबा.......................के नाम पर पंजी-।। में दर्ज है, को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है ।

तदनुसार अभिलेख अग्रेतर कारवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजें ।

लेखापित एवं संशोधित

27/11/20
अंचल अधिकारी

तोपचाँची ।

27/11/20
अंचल अधिकारी

तोपचाँची ।

Scanned with CamSc

(58)

(59)

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम – एलबारीश चौधरी पिता खुरशीद चौधरी
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण –

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
प्रतापडीह	158	28	98	50 डी०

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं० 61 पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 70-71
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम – गैरमजरुआ सरकार
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है – बन्दोबस्ती केस नं० 29(X)70-71
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम – —
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती – [illegible] बन्दोबस्ती
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी) – पंजी II
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	130190	28/3/91	90-91
2	039965	4/3/15	14-15

(हस्ताक्षर)

Scanned with CamSc